बिहार विधान-सभा वादवृत्त।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान-सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा-सदन में बुधवार, तिथि ६ अप्रील १९६६ को पूर्वाह्न ११ बजे अध्यक्ष डा० लक्ष्मीनारायण सुधांशु के सभापतित्व में प्रारम्भ हुआ।

अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण :

बेगुसराय अनुमंडल के बरौनी थाना के अन्तर्गत पपरौर ग्राम में सरकार द्वारा किये गये भू-अर्जन से किसानों में व्याप्त असंतोष।

*श्रीमती गिरीश कुमारी सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान बेगुसराय अनुमंडल के थाना बरौनी, ग्राम पपरौर की ओर ले जाना चाहती हूं जहां सरकार भू-अर्जन के द्वारा किसानों की उपजाऊ तथा बास की भूमि लेकर उन्हें बहुत ही असुविधा तथा कष्ट देने जा रही है। उक्त ग्राम की आबादी ३,५०० है। इतने व्यक्ति बेघरबार तथा बेरोजगार होने जा रहे हैं जैसा बरौनी तेलशोधक कारखाने के निर्माण के समय हुआ था। उस कारखाने के निर्माण में लाखों किसानों की जमीन गयी, घर गये, वे बेरोजगार हुए पर स्थानीय लोगों की नियुक्ति के लिये दौर लगाने पर भी शायद ही किसी की बहाली हो पायी है।

उसी प्रकार पपरौर की गरीब जनता के साथ भी व्यवहार होगा। इन गरीबों की जमीन लेकर निजी क्षेत्र में कारखाना खोलने के लिये दी जा रही है जिससे वे लोग काफी नफा उठावेंगे। इसलिये इन गरीब किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा उदारतापूर्वक दिया जाय। उनलोगों को दूसरी जगह खेती इत्यादि करने के लिये १० —१५ हजार रुपये प्रति एकड़ जमीन खरीदनी पड़ेगी जबकि सरकार उन किसानों को सिर्फ ५,००० रु० प्रति एकड़ कीमत देने जा रही है। अतः सरकार से यह निवेदन है कि उक्त ग्राम के किसानों का मुआवजा, बढ़ती हुई मंहगाई तथा भूमि की वर्त्तमान कीमत के अनुसार ही उदारतापूर्वक दे तथा रोजी-रोटी का समुचित प्रबन्ध करे। बरौनी तेलशोधक कारखाने के निर्माण के लिये जो जमीन ली गयी थी वह एक फसलवाली थी। उसका दाम छः हजार रुपये प्रति एकड़ दिया गया था। अभी जो जमीन ली जा रही है वह दो फसलवाली है जिसमें गेहूं मिर्चा आदि की उपज होती है। इसकी कीमत बहुत कम दी गयी है। बहुतों का घर भी जा रहा है। अतः सरकार उचित मुआवजा देकर इनलोगों की जमीन ले तथा भविष्य का खयाल रखते हुए इसका मुआवजा मिलना चाहिये।

श्री एस० के० बागे—इसका लिखित जवाब दे दिया जायगा।

(क) राज्य सरकार द्वारा हिन्दी में कार्य करने का आदेश विभागों को दिये जाने के बावजूद उस आदेश का प्रतिपालन नहीं किया जाना। (६ अप्रील,

अध्यक्ष—विधान-सभा का निश्चित समय रहता है और इसके पहले भी यह स्थगित हुआ था।

श्री कृष्ण बल्लभ सहाय—यह महत्वपूर्ण विषय है। इसलिये इसमें कुछ विलम्ब हुआ है।

अध्यक्ष—आज किस समय वक्तव्य देना चाहते हैं?

श्री नवल किशोर सिंह—अध्यक्ष महोदय, दो बजे के बाद किसी समय।

अध्यक्ष—अच्छी बात है।

श्री राम सेवक सिंह—अध्यक्ष महोदय, हमारा निवेदन है कि जिस समय सरकार का वक्तव्य हो उस समय आप इस गद्दी पर रहें तो अच्छा होगा क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

अध्यक्ष—पूरक पूछने का आपको अधिकार है ही।

श्री युवराज—मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सारठ में जो कुर्की वगैरह की गयी थी उसके बारे में सरकार ने कहा था कि उसको वापस कर दिया जायगा। लेकिन एक महीना हो रहा है, आजतक किसी व्यक्ति का न बैल लौटाया गया है और न चौखट, किवाड़ी ही लौटायी गयी है। उनलोगों के यहां ऋण वगैरह का एक पैसा भी अब बाकी नहीं है।

(ख) पूर्णियां जिलान्तर्गत ठाकुरगंज थाना के खालपाड़ा ग्राम के श्री हलदार सिंह पर उक्त थाना के अधिकारियों द्वारा किये गये जुल्म।

अध्यक्ष—श्री मुहम्मद हुसैन आजाद की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का वक्तव्य हो।

(श्री अम्बिका सिंह, राज्य मंत्री जवाब देने के लिये उठे)

अध्यक्ष—मैं जानना चाहता हूं कि इस विभाग के राज्यमंत्री कहां हैं?

श्री नवल किशोर सिंह—मुझे दूसरे ध्यानाकर्षण का जवाब देना है इसलिये मैं इसको पढ़ रहा हूं। इसलिये आपकी अनुमति से मैं इनको दे रहा हूं।

अध्यक्ष—इसके लिये पहले अनुमति लेनी चाहिये।

(ख) पूर्णियां जिलान्तर्गत ठाकुरगंज थाना के खालपाड़ा ग्राम के श्री हलदास सिंह पर उक्त थाना के अधिकारियों द्वारा किये गये जुल्म।

श्री अम्बिका सिंह—माननीय सदस्य श्री मुहम्मद हुसैन आजाद ने ध्यानाकर्षण की सूचना दी थी। ध्यानाकर्षण में पूर्णियां जिलान्तर्गत ठाकुरगंज थाना के दारोगा तथा जमादार द्वारा ज्यादती करने की बात कही गई है। बताया गया है कि १७ मार्च १९६६ को सात बजे सुबह ठाकुरगंज थाना के दारोगा तथा जमादार ने खालपारा गांव के निवासी, श्री हलदार सिंह को करीब चालीस आदमियों का खाना तैयार करने की सूचना भेजी जिसमें मांस इत्यादि का होना आवश्यक बताया गया। बताया गया है कि सूचना मिलने के पश्चात् श्री हलदार सिंह मुहीझाड़ी गांव में श्री तेबर सिंह के पास गए और जब वे लौट रहे थे तब रास्ते में ठाकुरगंज थाना के दारोगा तथा जमादार से उनकी मुलाकात हुई।

उनलोगों ने श्री हलदार सिंह से भोजन की तैयारी होने के विषय में पूछा जिसपर श्री हलदार सिंह ने उत्तर दिया कि चूंकि खस्सी का प्रबंध नहीं हो सका इसलिये भोजन तैयार नहीं किया गया। बताया गया है कि श्री सिंह के इस उत्तर से दारोगा तथा जमादार बहुत रंज हो गये और श्री हलदार सिंह को गालियां दी तथा बेरहमी के साथ उन्हें पीटा। उपस्थित लोगों के रोकने का भी कोई प्रभाव नहीं हुआ। श्री हलदार सिंह बेहोश हो गये और दोनों पुलिस पदाधिकारियों ने इन्हें स्कूल भवन में ले जाकर सात बजे शाम तक रखा। चर्ली डिस्पेंसेरी के मेडिकल औफिसर को बुलाकर उन्हें दिखलाया गया और डाक्टर के संदेह प्रकट करने पर उन्हें थाना ले जाकर हाजत में बन्द किया गया। उनके भतीजा, श्री मकई सिंह को उनसे मिलने नहीं दिया गया। यह भी आरोप किया गया है कि श्री हलदार सिंह की चिन्ताजनक हालत देखकर श्री मकई सिंह ने एस० डी० ओ० तथा एस० डी० पी०, किशनगंज से फोन पर कहना चाहा लेकिन फोन पर उनसे भेंट न हो सकी। उन्होंने एस० डी० ओ०, एस० डी० पी०, किशनगंज, जिला पदाधिकारी एवं आरक्षी अधीक्षक, पूर्णियां, आरक्षी महा-निरीक्षक तथा मुख्य मंत्री को घटना की सूचना तार द्वारा दी। अन्त में यह भी बताया गया है कि श्री हलदार सिंह ठाकुरगंज थाना के एक आदरणीय व्यक्ति हैं और पुलिस की इस ज्यादती के कारण लोगों में उनके सम्मान का ह्रास हुआ है। माननीय सदस्य ने यह अनुरोध किया है कि संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को निलंबित किया जाय तथा मामले की न्यायिक जांच के लिये आदेश दिया जाय।

उपरोक्त आरोपों के संबंध में पूर्णियां के जिला पदाधिकारी तथा आरक्षी अधीक्षक का सम्मिलित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है जिससे मालूम होता है कि घटना से संबंधित व्यक्ति का नाम श्री हलदार सिंह नहीं बल्कि श्री गोलदार सिंह हैं जिनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शायद श्री हलदार सिंह का नाम एक भूलमात्र है।

प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि श्री गोलदार सिंह को क्रिमिनल प्रोसीड्योर कोड की धारा ५५/१०९ के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को ठाकुरगंज थाना के स्टेशन डायरी इन्ट्री सं० २८९, दिनांक १८ मार्च १९६६ के सात बजे सुबह में संकुचित किया गया है। स्टेशन डायरी से पता चलता है कि पुलिस संबंधित पदाधिकारी तथा अनेक सिपाही, दफादार और चौकीदार जब रात में अपनी गस्ती पर थे तो उनलोगों ने श्री गोलदार सिंह को बंगाल सीमा के पास कुकुरबागी में संदिग्धावस्था में ५-६ व्यक्तियों के साथ घूमते हुए पाया। पुलिस के पीछा करने पर सभी लोग नजदीक के जंगल की ओर भागे। स्टेशन-डायरी से यह भी पता चलता है कि केवल श्री गोलदार सिंह पकड़े जा सके और अन्य सभी लोग भाग गये। पकड़ते समय कुछ हाथापाई में श्री गोलदार सिंह को कुछ साधारण चोट लगी। यह भी बताया गया है कि पुलिस द्वारा पूछे जाने पर वे अपना नाम, पता

का ठीक-ठीक उत्तर देना नहीं चाहते थे अतः उन्हें इस संदेह पर गिरफ्तार किया गया है कि शायद बंगाल में इनमें से कोई संगीन अपराध किया हो।

श्री मकई सिंह ने दिनांक १८ मार्च १९६६ को एस० डी० ओ० के पास घटना के संबंध में आरोप समर्पित किया है जैसाकि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में भी बताया गया है। एस०डी० ओ० ने क्रिमिनल प्रोसिडिओर कोड की धारा २०२ के अन्तर्गत एक मजिस्ट्रेट को इन आरोपों की जांच के लिये नियुक्त किया है और दिनांक ५ अप्रील १९६६ को मिजस्ट्रेट द्वारा जांच करने की तिथि निर्धारित की गयी है।

अध्यक्ष महोदय, इस घटना के संबंध में जैसाकि ऊपर बताया गया है अभी दो केस न्यायाधीन हैं और इस संबंध में किसी प्रकार का मत प्रकट करना उचित नहीं होगा और शायद केस के मेरिट में जाना होगा।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार बताएगी कि १७ तारीख को श्री मकई सिंह ने श्री गोलदार सिंह को मारने-पीटने के संबंध में टेलीग्राम मुख्य मंत्री, आई०-जी० और डी० एम० को दिया?

श्री नवल किशोर सिंह—टेलीग्राम आया है, इसकी सूचना नहीं है।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—मेरे पास तार है और मैं उसको दिखाऊंगा। मैं जानना चाहता हूं कि श्री गोलदार सिंह की मारपीट के सम्बन्ध में किस तारीख की घटना बतायी जाती है और किस तारीख को उनको चालान किया गया?

श्री नवल किशोर सिंह—घटना १८ मार्च की बतायी जाती है।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—१७ तारीख की घटना है और उसी दिन ४ बजे शाम को टेलीग्राम मुख्य मंत्री, डी० एम० और आई०-जी० इन तमाम लोगों के पास भेजा गया जिसमें उनको मारने की बात कही गई, तो जस पुलिस अधिकारी ने गलत रिपोर्ट दी है क्या सरकार उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहती है?

श्री नवल किशोर सिंह—आप टेलीग्राम दे दें, मैं उसे देखूंगा।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती है, जैसाकि लिखा गया है, कि श्री गोलदार सिंह को स्कूल के पास मारा गया और उनको बन्द किया गया जिसको उस स्कूल के मास्टरों तथा छात्रगण ने देखा, सरकार उस स्कूल के छात्रगण और मास्टरों से इसमें जानकारी हासिल करे?

श्री नवल किशोर सिंह—एक मुकदमा इसके संबंध में दायर किया गया है। इसकी इन्क्वायरी दफा २०२ के अन्दर एक मजिस्ट्रेट कर रहे हैं।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—क्या यह बात सही है कि जिस मजिस्ट्रेट को इसकी इन्क्वायरी करने के लिये दी गयी है वह इसकी इन्क्वायरी करने के लिये तैयार नहीं है ?

श्री नवल किशोर सिंह—यह तो न्यायाधिकरण की चीज है। अगर पार्टी दरखास्त करेगी तो उनको जांच करने के लिये जाना ही पड़ेगा। बिना जांच किए इसकी सच्चाई का पता लगा नहीं सकते हैं।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—क्या यह बात सही है कि श्री गोलदार सिंह के पास करीब-करीब ५०० बीघे जमीन हैं ?

श्री नवल किशोर सिंह—मेरे पास यही रिपोर्ट है कि उनके पास ५० बीघे जमीन हैं।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—क्या सरकार ने इस बात का पता लगाया है कि श्री गोलदार सिंह पर कभी भी चोरी या डकैती के केस नहीं हुए हैं ?

श्री नवल किशोर सिंह—उत्तर स्वीकारात्मक है।

श्री कमलनाथ झा—अध्यक्ष महोदय, एक बार राजस्व मंत्री ने भी कहा था और इस पर आपकी भी रूलिंग हो गयी है तो फिर जो मामला विचाराधीन हो यानी वह इन्भेस्टिगेशन स्टेज में हो तो उसको सबजुडिस कह कर सदन को वंचित रखना कहां तक उचित है, इसके लिये मैं आपसे दरखास्त करता हूं।

अध्यक्ष—सरकार की ओर से जो कहा गया, मैंने उस प्रश्न के बारे में खास तौर से नहीं पूछा। अभी जो तत्काल सूचना मांगी गयी है वह एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा कहना है कि किसी केस में जब तक चार्ज-शीट नहीं होता है तबतक वह सबजुडिस नहीं होगा। अभी यह प्रश्न जांच में है और फिर जब यह प्रश्न उठेगा तो जांच के बाद ही इसपर व्योरा मिल सकता है।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—मेरा कहना है कि श्री गोलदार सिंह को मारापीटा गया और बन्द कर दिया गया तो क्या सरकार इसकी इनक्वायरी करायगी ?

अध्यक्ष—सरकार की ओर से कहा गया कि अगर एक पार्टी दरखास्त करेगी तो जरूर इनक्वायरी करायी जायगी।

श्री मुहम्मद हुसेन आजाद—क्या यह बात सही है कि नहीं कि १०९ दफा में बिना चार्ज लगाए अगर किसी को बन्द कर लिया जाय तो जुडिशियल केस नहीं हो सकता है ?

अध्यक्ष—जितना अधिकार पुलिस को है उतना अधिकार मंत्री को भी नहीं है।

पूर्णिया जिलान्तर्गत ठाकुरगंज थाना के कालपःड़ा ग्राम के (६ अप्रील
श्री हलदार सिंह पर उक्त थाना के अधिकारियों द्वारा किये गये जुल्म ।

श्री नवल किशोर सिंह---दंड प्रक्रिया संहिता की धारा २०२ के अन्तर्गत इस मामले की जांच हो रही है ।

अध्यक्ष---श्री कमलनाथ झा ने जो कहा है वह ठीक है ।

श्री मुनीश्वर प्रसाद सिंह---अभी सरकार ने कबूल कया है कि उनके पास ५० बीघे जमीन हैं, तो क्या पुलिस को अधिकार है कि जिसकी जमीन हो उसको पकड़ कर रख ले और जिसको कुछ नहीं है उसको कुछ न करे ?

अध्यक्ष---अब इस पर प्रश्न नहीं हो । श्री जगदम्बी प्रसाद यादव की ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य दिया जाय ।

श्री प्रभुनाथ सिंह---हुजूर, मैं आपकी रूलिंग के संबंध में स्पष्टीकरण चाहता हूं । हुजूर, ने यह कहा है कि जबतक मामला पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में रहेगा और चार्जशीट नहीं दी जायेगी तबतक केस सबजुडिस नहीं है । तो जबतक इन्क्वायरी होती रहेगी और तमाम साधन इकट्ठ नहीं हो जाये गवर्नमेंट बयान क्या देगी ? इसलिये ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिये कि सही ब्यान लोगों को मिल जाये कि मामला कौन-सी स्थिति में है ।

(ग) राजमहल थाने के पलासी गाछी तथा नरायणपुर दियारा क्षेत्र में बसे पूर्वी पाकिस्तानी शरणार्थियों के ऊपर हमलावरों द्वारा किये गये आक्रमण ।

श्री नवल किशोर सिंह---माननीय सदस्य, सर्वश्री जगदम्बी प्रसाद यादव, जनार्दन तिवारी एवं गौरी शंकर केसरी ने अपने ध्यानाकर्षण में जिस घटना की चर्चा की है उसके संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारायें १४८, १४९, ३२४, ३७९, ३८०, ३०२ के अन्तर्गत श्री कासिम अली और दस अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकदमा दायर किया है जिसका अनुसंधान अभी जारी है ।

अबतक जो प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं उनके अनुसार घटना का विवरण इस प्रकार है । पलासगाछी एवं नारायणपुर दियारा में पूर्वी पाकिस्तान से आये कुछ शरणार्थियों ने अपने लिये घर बना लिये हैं और कई बीघे जमीन पर उनलोगों ने खेती भी की है । नारायणपुर दियारा की जमीन जिसपर करीब ३०० शरणार्थियों ने अपना घर बनाया है और करीब ७०० या १,००० बीघा जमीन जिसपर फसलें बोई हैं, के ऊपर धारा १४५ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत शरणार्थी और मुसलमान रैयतों, जो जमीन पर अपने कब्जे का दावा करते थे, के बीच मुकदमा चला । एक महीना पहले कोर्ट का फैसला नारायणपुर के मुसलमान रैयतों के पक्ष में हुआ । दिनांक १० मार्च १९६६ को करीब १,००० मुसलमान रैयत शरणार्थियों को जमीन से हटाने के उद्देश्य से वहां गये । उन्होंने फसल काट ली और शरणार्थियों का सामान जिसका मूल्य करीब १५० रुपया था, लूट लिया । इसमें एक शरणार्थी मारा गया । लूट की ऐसी ही एक घटना पलासगाछी दियारा में भी हुई ।